

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव-सेलाकोट-काने रिखाढ़ से मेहरागाँव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि०मी०) का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन प्रचायतभूमि उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 8.96 हेक् टर वन भूमि के एवज में दुगुने क्षेत्र अर्थात् 17.92 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम दियारी, तहसील भनोली, जनपद अल्मोड़ा के खाता संख्या 054 श्रेणी 9(3)ड "बंजर काबिल आबाद भूमि" जो राज्य सरकार भूमि है तथा जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है। परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरिण्त एवं नामान्तरित कर दी जायेगी तथा तत्पश्चात इसे भारतीय अधिनियम 1927 के अन्तर्गत छः माह के अन्दर संरक्षित वन घोषित कर दिया जायेगा।

तहसीलदार
भनोली

क्षेत्र राजस्व उपनिरीक्षक
..... तहसील
जनपद- अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

तहसीलदार
भनोली

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव-सेलाकोट-काने रिखाढ़ से मेहरागाँव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि०मी०) का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन पंचायत भूमि उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित अनुबन्ध का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 8.96 हैक्टेयर वन भूमि के एवज में दुगुने क्षेत्र अर्थात् 17.92 हैक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम दियारी, राजस्व तहसील भनोली, जनपद अल्मोड़ा के खाता संख्या 054 श्रेणी 9(3)ड "बंजर काबिल आबाद भूमि" जो राज्य सरकार की भूमि है तथा जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है। याचक विभाग के माँगा अनुसार सम्बन्धित भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के लिए राजस्व विभाग सहमत है।

तहसीलदार
भनोली

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र..... तहसील.....
जनपद- अल्मोड़ा

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

तहसीलदार
भनोली